(97)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2013

R.3804-II/13

अवनीश जाफरी आत्मज श्री ए.एन. जाफरी
निवासी मिशन कंपाउड सीहोर जिला सीहोर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16/08/2013 प्रकरण कमांक अ-76/12-13 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय सीहोर द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र.रा.सं. की धारा 146 के विपरीत जाकर विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर निगरानी कर्ता को बिना किसी आधार के मांग सूचना पत्र दिनांक 16/08/2013 को जारी किया गया है। जिसे निम्न विधिक आधारों पर निगरानीकर्ता चुनौती देता है:-

विधिक आधार

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सूचना पत्र 16/08/2013 विधि एवं प्रकिया के विपरीत हहोने से पूर्ण रूप से निरसती योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकिया का उपयोग किये बगैर बिना किसी आधार के अनुदान की वसूली बावत सूचना पत्र प्रेषित किया है। जो विधिक रूप से

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 3804–दो/13 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9–5–17 भोपाल	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	